क्षेत्रीय ऐतिहासिक स्रोतों का राष्ट्रीय महत्त्व : शिवपुरी सतेराखाल, जनपद रूद्रप्रयाग से प्राप्त पाण्डुलिपियों के सन्दर्भ में

डॉ. शिवचन्द सिंह रावत
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली

ऐतिहासिक स्रोतों के बिना इतिहास का अध्ययन अपूर्ण सा है। बिना स्रोतों के लिखा गया इतिहास विश्वसनीय तथा प्रामाणिक नहीं होता है। स्रोतों के अभाव में इतिहास केवल किसी घटना का विवरण मात्र रह जाता है। इसलिए इतिहास के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का महत्त्व स्पष्ट है। स्रोतों के आधार पर ही किसी भी देश अथवा क्षेत्र का प्रामाणिक इतिहास लिखा जाना संभव है। यदि इतिहास लेखन में स्रोतों का उपयोग न हो तो इस प्रकार इतिहास लेखन विश्वसनीय तथा प्रामाणिक नहीं माना जाता है। प्राचीन भारत में इसी कारण उपलब्ध ग्रन्थों को ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं माना जाता है। यद्यपि हमारे देश का इतिहास अत्यंत समृद्ध है, किन्तु प्रामाणिक स्रोतों के अभाव में कई बार महत्त्वपूर्ण तथ्यों का सत्यापन संभव नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इतिहास लेखन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, देश के तमाम क्षेत्रों में पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों में महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उत्खनन के अभाव में दबी पड़ी है, जिससे के उत्खनन से निश्चित ही हमें महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु क्षेत्र की विशालता तथा संसाधनों की न्यूनता के कारण इसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यद्यपि पुरातत्व विभाग इस संदर्भ में निरंतर प्रयत्नशील है, परन्तु फिर भी इस दिशा में और सक्रियता आवश्यक है। पुरातात्विक स्थलों के अतिरिक्त आमजनमानस में कई प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, किन्तु उसका संकलन तथा विश्लेषण न होने के कारण आज भी वह महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रयोग में नहीं लायी जा सकी है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार पाण्डुलिपियों के संकलन की योजना तैयार की गयी है। पाण्डुलिपियों के संरक्षण की यह योजना अपने आप में कितनी सफल रही है, यह तो स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता, किन्तु स्थानीय जनमानस के पास उपलब्ध सामग्री के महत्त्व को इस योजना अवश्य सिद्ध कर दिया।

यद्यपि अपने आप में यह योजना निश्चित ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इसका कार्यान्वयन कितना सार्थक रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। स्थानीय जनमानस के पास उपलब्ध पाण्डुलिपियों का महत्त्व तथा इसकी उपयोगिता को उत्तराखण्ड के जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम शिवपुरी, सतेराखाल से श्री सत्येन्द्र सिंह बर्त्वाल, धीरज सिंह बर्त्वाल व युद्धवीर सिंह बर्त्वाल के पैतृक निवास से प्राप्त पाण्डुलिपियों से समझा जा सकता है। यहाँ से बड़ी संख्या में पाण्डुलिपियाँ व अन्य ऐतिहासिक महत्त्व के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। बर्त्वाल जाति का यह परिवार गढ़राज्य एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही शासन में महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बर्त्वाल परिवार के मुखिया नागपुर परगने के थोकदार रहे हैं, जिस कारण इनकी पहुँच महत्त्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों तक रही है। तत्कालीन भू–व्यवस्था में भू–राजस्व के संकलन के महत्त्वपूर्ण स्तम्भ होने के कारण इनके पास से अनेक भू–राजस्व सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जो निश्चित ही तत्कालीन आर्थिक इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इन दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास की कई विसंगतियाँ इनसे दूर हो सकती हैं। यद्यपि इन पाण्डुलिपियों में सर्वाधिक संख्या क्षेत्रीय बोली में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित हस्तलिखित पुस्तकों के रूप में है। इन हस्तलिखित पुस्तकों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम का भी ज्ञान होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राप्त पाण्डुलिपि तथा दस्तावेजों में राजस्व अभिलेख तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में समय–समय पर किये गये भू–बंदोबस्तों से सम्बन्धित दस्तावेज भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये दस्तावेज जहाँ हमें तत्कालीन भूमि वितरण एवं भू–अधिकारों से उपजे विभिन्न कृषक वर्गों के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वहीं इनसे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भू–व्यवस्था में किस प्रकार थोकदार, लम्बरदार,[1] हिस्सेदार, खायकर एवं सिरतान आदि अन्य वर्ग कृषि से जुड़े हुए थे। दस्तावेजों में भू–राजस्व हेतु भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि की किस्में तलाऊँ, अब्बल, दोयम तथा ईजरान के अनुसार राजस्व का भी उल्लेख किया गया है।[2] इन दस्तावेजों से यह भी ज्ञात होता है कि बाद के वर्षों में भूमि की किस्मों में एक और अंतिम किस्म कटील जोड़ी गयी है।[3] इस संग्रह में कई ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जनगणना की पद्धति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सन् 1881 की एक चौकीदार की पंजिका जिस पर ''चौकीदार का रजिस्टर''[4] लिखा हुआ है, से ज्ञात होता है कि इस रजिस्टर में ग्राम में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखी जाती थी।[5] इस पंजिका के विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि निश्चित ही यह व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत कारगर रही होगी। प्राप्त दस्तावेजों में तत्कालीन फर्द फाँट की जानकारी भी प्राप्त होती है कि किस प्रकार ग्राम स्तर पर फर्द फाँट की वसूली की जाती थी, जिसके अन्तर्गत थोकदारी व मालगुजारी सम्मिलित रहती थी।[6] इस संग्रह से 1929 ई0 की एक ऐसी पंजिका भी प्राप्त हुई है, जिसमें मवेशियों की बीमारी व इलाज के बारे में जानकारी रखी जाती थी।[7]

यही नहीं श्री हीरा सिंह बर्त्वाल के संग्रह से प्राप्त ये दस्तावेज उनकी शिक्षा तथा अभिलेखों के प्रति उनकी जागरूकता व रूचि को भी प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे जब हम भारत की शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा के संदर्भ में 1854 ई0 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच से स्पष्ट होता है कि ग्राम स्तर पर देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था[8] और उनसे ऊपर ऐंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले गये थे, परन्तु श्री हीरा सिंह बर्त्वाल के 1917 ई0 के अपर प्राइमरी के प्राप्त प्रमाण पत्र में प्राथमिक विद्यालय को ''मदरसा'' लिखा गया है,[9] जबकि तत्कालीन

समय में ऐतिहासिक ग्रन्थों में मदरसा केवल प्राथमिक स्तर के मुस्लिम शिक्षा केन्द्रों को ही लिखा गया है। इस प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि यद्यपि मुगल कालीन शासन व्यवस्था समाप्त हो गयी थी, किन्तु शासन पर उसका प्रभाव कितना व्यापक था, इसे उक्त प्रमाण पत्र से समझा जा सकता है। न्यायालय सम्बन्धी प्रक्रिया से सम्बन्धित सन् 1865 के एक स्टाम्प पत्र में गार्डनर के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें गार्डनर को डी0एम0 (डियम) लिखा गया है तथा इसमें तलवाना जैसे न्यायिक करों का उल्लेख किया गया है।[10] तलवाना अपराधियों से वसूला जाने वाला एक प्रकार कर होता था।

इस तरह इन दस्तावेजों से तत्कालीन इतिहास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि शोधार्थी केवल चंद घंटों ही इन दस्तावेजों को देख पाया तथा कुछ ही दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त कर पाया था, इसलिए मौजूद सभी दस्तावेजों का अध्ययन नहीं कर पाया। यदि इनका पर्याप्त अध्ययन किया जाये तो निश्चित ही इनसे तत्कालीन शिक्षा पद्धति अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति तथा न्याय प्रक्रिया आदि की और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है और इस प्रकार क्षेत्रीय इतिहास के स्रोत रूप में इन पाण्डुलिपियों से प्राप्त जानकारी से राष्ट्रीय इतिहास पुष्ट हो सकता है।

सन्दर्भ सूची

1 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त रसीद, जिसमें लम्बरदार के वसूल हुए लिखा हुआ है (संलग्नक–1)

2 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त दस्तावेज, जिसमें भूमि की उपज के आधार पर किस्में अब्बल, दोयम आदि लिखी गई हैं (संलग्नक–5)

3 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त दस्तावेज, जिसमें भूमि की किस्मों के अन्तर्गत कटील शब्द भी लिखा गया है जबकि पूर्व के दस्तावेजों में कटील शब्द नहीं है (संलग्नक–6)

4 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त चौकीदार का रजिस्टर पैदायश एवं मौत का, जिसमें लिखा हुआ है (संलग्नक–3)

5 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त चौकीदार का रजिस्टर पैदायश एवं मौत के आंतरिक पृष्ठ पर सम्बन्धित जानकारी दी गई है (संलग्नक–4)

6 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त दस्तावेज, जिसमें भू–राजस्व वसूली में फर्द–फाँट के अन्तर्गत मालगुजारी व थोकदारी वसूली का उल्लेख किया गया है (संलग्नक–7)

7 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त दस्तावेज, जिसमें मवेशी मुहलिक बीमारियों की किताब लिखा हुआ है (संलग्नक–8)

8 ग्रोवर, बी0एल0 एवं यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास : एक नवीन मूल्यांकन, एस0 चन्द एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, 1995, पृ0–356

9 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त श्री हीरा सिंह बर्त्वाल का प्राइमरी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जिसमें उनके प्राइमरी विद्यालय के नाम के आगे मदरसा लिखा हुआ है (संलग्नक–2)

10 सम्बन्धित संग्रह से प्राप्त स्टाम्प, जिसमें डियम गार्डनर लिखा हुआ है (संलग्नक–9)

संलग्नक – 1

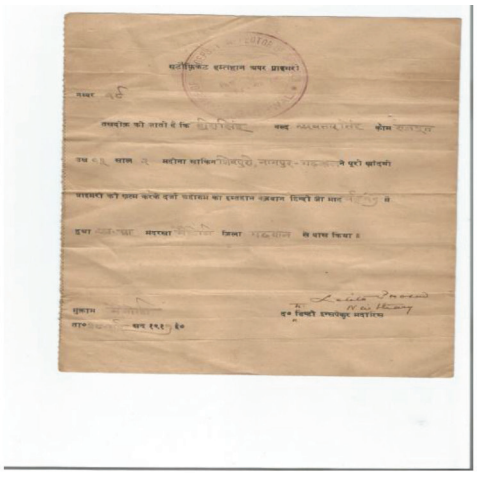

संलग्नक –2

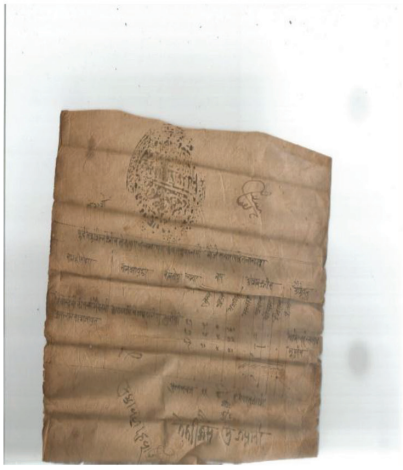

संलग्नक–5

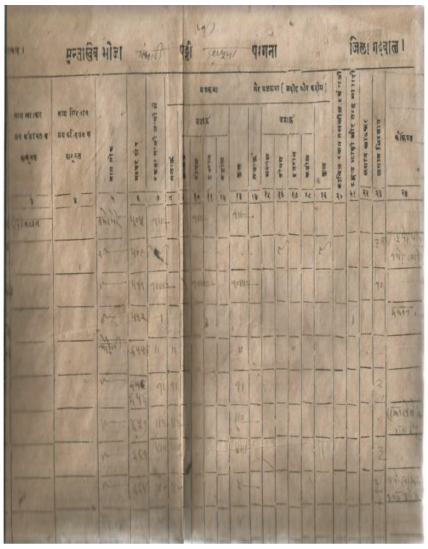

संलग्नक – 6

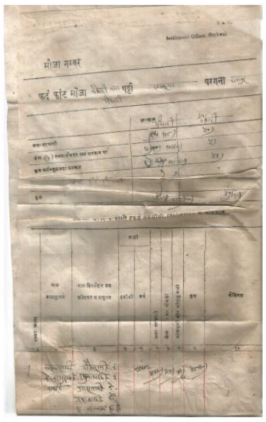

संलग्नक – 7

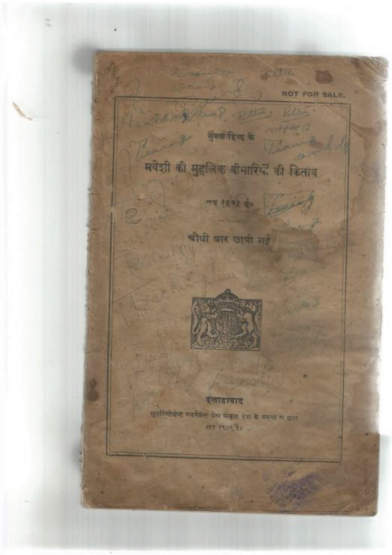

संलग्नक – 8

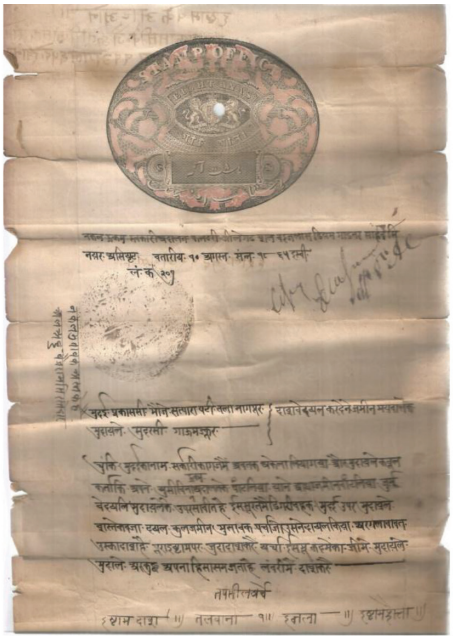

संलग्नक–9